[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः 03 जनवरी, 2018

अधिसूचना

7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2018

का.आ.......(अ) भारत सरकार एतदद्वारा 10 जनवरी, 2018 से अगले नोटिस तक 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2018 का निर्गम अधिसूचित करती है। बांडों के निर्गम के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

2. निवेश के लिए पात्रता: बांड निम्नलिखित द्वारा धारित किए जा सकते हैं

(i) कोई भी व्यक्ति, जो अनिवासी भारतीय न हो-

(क) व्यक्तिगत हैसियत से, अथवा

(ख) संयुक्त आधार पर व्यक्तिगत हैसियत से, अथवा

(ग) कोई एक अथवा उत्तरजीवी आधार पर, व्यक्तिगत हैसियत से, अथवा

(घ) पिता/माता/विधिक अभिभावक के रूप में अवयस्क की ओर से

(ii) हिंदू अविभाजित परिवार

3. निवेश की सीमा:

इन बांडों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

4. कर उपाय:

(i) इन बांडों पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देय होगा जैसाकि बांडधारक की संबंधित कर प्रास्थिति के अनुसार प्रयोज्य हो ।

(ii) ये बांड संपदा कर अधिनियम, 1957 के तहत संपदा कर से छूट प्राप्त होंगे।

5. निर्गम मूल्य:

(i) ये बांड सममूल्य अर्थात 100 रुपए पर निर्गमित किए जाएंगे।

(ii) ये बांड 1,000 रुपए (अंकित मूल्य) की न्यूनतम राशि और उसके गुणजों में निर्गमित किए जाएंगे। तदनुसार, प्रत्येक 1,000 रुपए (अंकित मूल्य) के लिए निर्गम मूल्य 1,000 रुपए होगा।

6. अभिदान:

(i) इन बांडों के लिए अभिदान नकद/ड्राफ्ट/चैक अथवा प्राप्तकर्ता कार्यालय को स्वीकार्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा।

(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट बैंक (प्राप्तकर्ता कार्यालय) जो नीचे पैराग्राफ 10 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के पक्ष में आहरित किया जाएगा और उस स्थान पर देय होगा जहां आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

7. निर्गम की तारीख:

ये बांड डीमैट रूप में निवेशक/निवेशकों के बांड बही खाता में नकद जमा करने की तारीख या ड्राफ्ट/चैक के नकदीकरण होने की तारीख को जमा किए जाएंगे।

8. प्रपत्र:

(i) ये बांड केवल डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और प्राप्तकर्ता बैंकों में खोले गए खाते जो बांड बही खाता कहा जाता है, में धारक के नामे रखे जाएंगे।

(ii) निवेशक के बांड बही खाते के नामे जारी किए गए बांड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत उन बैंकों और एसएचसीआईएल के किसी भी शाखा में धारित किए जाएंगे जो नीचे पैराग्राफ 10 में विनिर्दिष्ट की गई है।

(iii) फार्म अनुबंध-1 में यथाविनिर्दिष्ट धारक प्रमाणपत्र बांड बही खाते में धारित बांडों के धारक/धारकों को जारी किया जाएगा (फार्म टीबीएक्स अथवा फार्म टीबीवाई, जैसा भी प्रयोज्य हो)

9. आवेदन

(i) इन बांडों के लिए आवेदन या तो वास्तविक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध-2 के रूप में संलग्न फार्म-क में अथवा उसके समान किसी अन्य फार्म में किया जा सकता है जिसमें राशि और आवेदक का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

(ii) आवेदन के साथ नकद/ड्राफ्ट/चैक/इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आवश्यक भुगतान किया जाना चाहिए जैसाकि ऊपर पैरा 6 में दर्शाया गया है।

(iii) ऐसे आवेदक जिन्होंने आय कर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों के तहत आय कर में छूट प्राप्त कर ली है, वे आवेदन में इसकी घोषणा (प्रपत्र क में) करेंगे और आय कर प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।

10. प्राप्तकर्ता कार्यालय

बांडों के लिए आवेदन निम्नलिखित में प्राप्त किए जाएंगे।

(क) भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखाओं, निजी क्षेत्र के तीन बैंकों और अनुबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट एससीएचआईएल।

(ख) किसी अन्य बैंक की शाखाओं और जैसाकि कि इसकी ओर से समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्निष्ट किया गया है।

11. नामांकन

(i) इन बांडों का एकल धारक या सभी संयुक्त धारक व्यष्टि/व्यष्टियां होने के नाते इस अधिसूचना (अनुबंध-4) में संलग्न या इसी तरह के प्रपत्र में जैसा भी मामला हो, एक या अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, जो एकल धारक/सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु हो जाने पर जैसा भी मामला हो, बांडों और उसके भुगतान के हकदार होंगे, परंतु व्यक्ति या नामांकित प्रत्येक व्यक्ति अपनेआप में बांड धारण करने के लिए सक्षम होंगे।

(ii) जहां नामांकन दो या अधिक नामांकितों का किया गया है और ऐसे भुगतान के देय होने के पहले उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तब बांड की हकदारी जीवित नामांकित या नामांकिता की होगी और उस पर देय राशि का भुगतान तदनुसार किया जाएगा।

(iii) नामांकित या नामांकितों की धारक के पहले मृत्यु हो जाने पर धारक नया नामांकन कर सकता है।

(iv) निवेशक प्रत्येक निवेश के लिए अलग नामांकन कर सकता है।

(v) नाबालिग के नाम पर निर्गमित बांडों के संबंध में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।

(vi) बांड धारक द्वारा किया गया नामांकन **प्रपत्र ख** में नए नामांकन द्वारा बदला जा सकता है या अधिसूचना (अनुबंध-5) में संलग्न **प्रपत्र ग** में प्राप्तकर्ता कार्यालय को लिखित सूचना देकर निरस्त किए जा सकते हैं।

(vii) प्रत्येक नामांकन और प्रत्येक निरस्तीकरण का पंजीकरण प्राप्तकर्ता कार्यालय में किया जाएगा जहां बांड निर्गमित किया जाता है और यह ऐसे पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।

(viii) यदि नामांकित नाबालिग है तो बांड धारक नामांकित के नाबालिग रहने की अवधि के दौरान अपनी मृत्यु हो जाने पर बांड/देय राशि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता/सकती है।

12. हस्तांतरणीयता:

निवेशक के बांड बही खाता के क्रेडिट में धारित बांड हस्तांतरणीय नहीं होंगे।

13. ब्याज

(i) निवेशक की निलामी पर बांड संचयी या गैर-संचयी रूप में निर्गमित किए जाएंगे अथवा और इनपर प्रति वर्ष 7.75% की दर से ब्याज लगेगा।

(ii) गैर-संचयी बांडों पर ब्याज ऊपर पैरा 7 के संदर्भ में निर्गम की तारीख से अर्ध-वार्षिक अंतराल पर भुगतान योग्य होगा और संचयी बांडों पर ब्याज बाकी अर्ध-वार्षिक के साथ चक्रवृद्धि के रूप में परिपक्वता पर मूलधन के साथ भुगतान योग्य होगा।

(iii) बाद के मामले में, बांड का परिपक्वता मूल्य प्रत्येक ₹1,000 (अंकित) के लिए ₹1,703.00 (मूलधन और ब्याज) होगा।

(iv) गैर-संचयी बांडों का विकल्प चुनने वाले धारकों के लिए ब्याज ऊपर पैरा 7 के संदर्भ में निर्गम की तारीख से 31 जुलाई/31 जनवरी तक जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा और उसके बाद 31 जुलाई और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक 1 अगस्त और 1 फरवरी को भुगतान किया जाएगा।

(v) "बांड बही खाता" के क्रेडिट में धारित बांडों पर ब्याज का भुगतान निवेशक/ धारक द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार धारक के बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में किया जाएगा।

14. स्रोत पर कर कटौती

(i) समय-समय पर गैर-संचयी बांडों पर ब्याज का भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी और इसे सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

(ii) परिपक्वता मूल्य के ब्याज अंश पर कर की स्रोत पर कटौती संचयी बांडों पर परिपक्वता लाभ के भुगतान के समय की जाएगी और सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

परंतु यह कि उन व्यष्टि/व्यष्टियों के लिए जिन्होंने आवेदन प्रपत्र में घोषणा की है कि उन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों के तहत कर से छूट प्राप्त कर ली है और आय कर प्राधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपि जमा की है, ब्याज/परिपक्वता लाभ का भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की जाएगी।

15. बांड के एवज में अग्रिम/व्यापार योग्यता

बांड गौण बाजार में व्यापार योग्य नहीं होगा और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) आदि से अतिरिक्त ऋण के रूप में पात्र नहीं होगा।

16. अदायगी

i) बांड जारी होने की तारीख से 7 (सात) वर्ष समाप्त हो जाने पर प्रतिदेय होगा।

ii) बांडों के परिपक्व होने से पूर्व 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तिगत निवेशकों को नकदीकरण की अनुमति होगी बशर्ते कि वे नीचे दर्शाए गए अनुसार बांड जारी होने की तारीख से न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद निर्गमकर्ता बैंकों की संतुष्टि के लिए आयु के समर्थन में निवेशक की जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

(क) 60 से 70 वर्ष की आयु-वर्ग के निवेशकों की निश्चित अवरुद्धता अवधि, बांड जारी होने की तारीख से 6 वर्ष होगी।

(ख) 70 से 80 वर्ष की आयु-वर्ग के निवेशकों की निश्चित अवरुद्धता अवधि, बांड जारी होने की तारीख से 5 वर्ष होगी।

(ग) 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु-वर्ग के निवेशकों की निश्चित अवरुद्धता अवधि, बांड जारी होने की तारीख से 4 वर्ष होगी।

(iii) यदि संयुक्त बांडधारक हों या दो से अधिक बांड धारक हों तो उपर्युक्त पात्रता की शर्त को यदि कोई एक धारक भी पूरा करता है तो उपर्युक्त लॉक-इन अवधि प्रयोज्य होगी।

(iv) बांड जारी होने की तारीख से उपर्युक्त न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद, पात्र निवेशक 12वीं, 10वीं और 8वीं अर्द्धवार्षिक के तदनुरूपी संबंधित निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद बांड अभ्यर्पित सकता है, परन्तु प्रतिदान का भुगतान आगामी ब्याज भुगतान की निर्धारित तारीख को किया जाएगा। इस प्रकार, पात्र निवेशकों के परिवक्वता नकदीकरण की प्रभावी तारीख प्रत्येक वर्ष की 1 अगस्त और 1 फरवरी है। परन्तु, ऐसे मामलों में संचयी और गैर-संचयी दोनों बांडों के संबंध में धारण अवधि के पिछले छ: माह के बकाए और देय ब्याज का 50% वसूल किया जाएगा।

17. दलाली:

पैराग्राफ 10 में सूचीबद्ध प्राप्तकर्ता कार्यालय के साथ पंजीकृत दलालों और उनके ग्राहकों की ओर से उन्हें दिए गए आवेदनों, जिनपर उनका मोहर लगा हो, पर प्रति ₹ 100 पर ₹1.00 की दलाली दी जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार

(प्रशांत गोयल)
संयुक्त सचिव (बजट)

फा.सं. 4(28)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2017

अनुबंध-**I**

फार्म 'टीबीएक्स'

(गैर-संचयी)

भारत सरकार

धारण प्रमाणपत्र

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

<u>बांड बही खाता संख्या</u>

[पैरा 8देखें]

हम इसके द्वाराप्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती.--- नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ------------- (बैंक शाखाका नाम) में बांड बही खाता संख्या --में धारित 7.75% बचत (कर योग्य) बांड,2017 के धारक हैं। इन बांडों पर छमाही आधार पर देय 7.75% प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा।

इसे दिनांक 03 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है।

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम
शाखा कोड संख्या
कार्यालय का मुहर

1. (नाम-----------------------) 2. (नाम-----------------------)
पदनाम पदनाम

क्रम सं. -------- पर नामांकन पंजीकृत

प्राप्तकर्ता कार्यालय के प्रधान/
उनसे अगले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:यह प्रमाणपत्र अपरक्राम्य है।

<u>बांड बही खाता में धारित बांडों के ब्यौरे</u>

क्रम सं.	निवेश		अंतरण		वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख *	वापसी-अदायगी		शेष	बैंक की मुहर सहित आद्यक्षर
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		दिनांक	राशि		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* अंतरण के मामले में वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख का उल्लेख किया जाए।

अनुबंध- I

फार्म 'टीबीवाई'

(संचयी)

भारत सरकार

धारण प्रमाणपत्र(संचयी)

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

बांड बही खाता संख्या

[पैरा8 देखें]

हम इसके द्वाराप्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती.-- नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ------------ (बैंक शाखाका नाम) में बांड बही खाता संख्या -- में धारित 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 के धारक हैं।

इसे दिनांक 03 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाता है।

बांडों का परिपक्वता मूल्य प्रति रुपए 1,000 के लिए रुपए 1,703 (मूल राशि और ब्याज की राशि) होगा (नॉमिनल)।

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम

शाखा कोड संख्या

कार्यालय का मुहर

1. (नाम-----------------------) 2. (नाम----------------------)

पदनाम पदनाम

क्रम सं. -------- पर ना

मांकन पंजीकृत प्राप्तकर्ता कार्यालय के प्रधान/

उनसे अगले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:यह प्रमाणपत्र अपरक्राम्य है।

<u>बांड बही खाता में धारित बांडों के ब्यौरे</u>

क्रम सं.	निवेश		अंतरण		वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख *	वापसी-अदायगी		शेष	बैंक की मुहर सहित आद्यक्षर
	दिनांक	राशि (नॉमिनल)	दिनांक	राशि (नॉमिनल)		दिनांक	राशि (नॉमिनल)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* अंतरण के मामले में वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख का उल्लेख किया जाए।

अनुबंध - **2**

(फार्म क)

[पैरा 9 देखे]

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018 के लिए आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र भरने से पहले हिदायतें ध्यानसे पढ़ लें)

(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें और उचित बॉक्स में सही (✔) का निशान लगाएं)

मैं/हम 7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018 के अभिदान के रूप में अभिदान की राशि रु. ___________________(रुपए ____________________________________)प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

भुगतान किया नकदी [ ] चैक [ ] [ ] मांग ड्राफ्ट. [ ]इलेक्ट्रॉनिक मोड_________

दिनांक ___________

जिस पर आहरति

____

(बैंक/शाखा)

मैं/हम व्यक्ति के रूप में [ ] अवयस्क की ओर से [ ] * हिंदू अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में आवेदन करता हूं/करते हैं।

अवयस्क से रिश्ता-पिता [ ] माता

[ ] कानूनीअभिरक्षक[ ]

धारण की पद्धति:-

[ ] एकल

[ ] संयुक्त

[ ] कोई एक या उत्तरजीवी

स्थिति [ ] निवासी

[ ] अवयस्क

* घोषणा प्रपत्र भरा जाए तथा प्रस्तुत किया जाए, यदि लागू हो।

दलाल का नाम:

कोड सं.:

पता:

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

दलाली की राशि का .

आवेदन पत्रसं. [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

दिनांक [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

अदाकर्ता बैंक के नामे की तारीख: [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

संपर्क कक्ष को अंतरण की तारीख [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

विशेष चालू खाते में जमा की तारीख [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

सरकारी खाते में जमा की तारीख [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

बाड बही खाता संख्या

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ]

शाखा प्रबंधक

प्राप्तकर्ता कार्यालय की रबड़ की मुहर पूरे पते सहित

* घोषणा प्रपत्र भरा जाए तथा प्रस्तुत किया जाए, यदि लागू हो।

मैं/हम अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें नीचे उल्लिखित रूप में बांड जारी किए जाएं:

[ ] मेरे/हमारे नाम पर बांड बही खाता खेला जाए।

[ ] मेरे/हमारे बांड बही खाता संख्या .... में जमा करें।

मैं/हम ब्याज --------------------@ परिपक्वता/संचयी [ ] @
अर्धवार्षिक-असंचयी [ ]@आहरित करना चाहता हूं/चाहते हैं।

बैंक खाते में ब्याज जमा करने की स्थिति में
बैंक शाखा का नाम_______________

बचत/चालू खाता संख्या.___________

(प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़कर स्पष्ट अक्षरों में लिखें)

पहले आवेदक/हिं.अ.प./अवयस्क का पूरा नाम लिंग:पु0 [ ] स्त्री [ ]

पिता/माता/कानूनी अभिरक्षक (अवयस्क के लिए) हिं.अ.प. के कर्ता/मुख्तारनामा धारक का पूरा नाम

जन्म तिथि (अवयस्क के मामले में)

दिन माह वर्ष
(अवयस्क के मामले में)

भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले से पंजीकृत मुख्तार नामे / हि.अ.प. के मामले में पंजीकरण संख्या

पहले आवेदक (नाम फिर से न लिखें) का पता

राज्य													पिनकोड											

दूसरे आवेदक का पूरा नाम और पता

तीसरे आवेदक का पूरा नाम और पता

स्थायी खाता संख्या
पहला आवेदक
दूसरा आवेदक
तीसरा आवेदक

…………………………………………………………………
पहले आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

+हस्ताक्षर

गवाह का नाम और पता

………………………………………………………………… 1)……………………………………………
दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

………………………………………………………………… 2) ………………………………………..
तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

टिप्पणी: @ बांड बही खाते के रूप में बांडों पर ब्याज धारक के बैंक खाते में जमा करके अथवा चैक/वारंट द्वारादिया जाएगा।.

+ अंगूठे का निशान लगाए जाने पर

हिंदू अविभक्त परिवार घोषणा फार्म

अनुबंध-2 प्रपत्र क (पैरा 9 देखें)

(केवल तभी जब आवेदक हिंदू अविभक्त परिवार का कर्ता हो)

मैं,लिंग: पु. [ ] स्त्री. [ ]

पहले आवेदक के सामने दिए गए पते पर रहता हूं और पूरी निष्ठा से यह पुष्टि करता हूं कि मैं हिंदू अविभक्त परिवार का कर्ता हूं, जिसकी संरचना इस प्रकार है

(हिंदू अविभक्त परिवार का नाम व पता)

और इस प्रकार मुझे उक्त हिंदू अविभक्त परिवार के नाम पर धारित7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 में निवेश करने, अंतरण करने अथवा अन्यथा लेन-देन करनेके पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

हिंदू अविभक्त परिवार (हिंदू अविभक्त परिवार का नाम)
के लिए और की ओर से नमूना हस्ताक्षर)

सथान:

तारीख: कर्ता के हस्ताक्षर

7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 के लिए अनुदेश और दिशानिर्देश

1. बांड में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
2. अभिदान के लिए दिए गए चैक आवेदन प्राप्त करने वाले बैंक/प्राप्ति कार्यालय के पक्ष में आहरित तथा उस स्थान पर देय होने चाहिए जहां कि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
3. यदि आवेदन कानूनी अभिभावक द्वारा नाबालिग (अवयस्क) की ओर से किया जाता है तो सक्षम न्यायालय संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (1890 का अधिनियम) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अभिभावकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. यदि नाबालिग आवेदक हो, तो म्युनिसिपल याअन्य सक्षम प्राधिकारी, चर्च, जन्म के पंजीयक या जिलाधीश, ग्राम पंचायत के प्रमुख या स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा नाबालिग का नाम और जन्मतिथि घोषित करते हुए जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए (एक जेरॉक्स प्रतिसहित)।
5. आवेदन पत्र पर आवेदक/को के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान होने चाहिए। अंगूठे निशान के लिए 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से साक्ष्य दी जानी चाहिए।
6. यदि आवेदन पत्र पर निवेशक से इतर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो तो आवेदन पत्र के साथ हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने संबंध मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए। मुख्तार नामें में बांड के अधीन देय ब्याज और मूलधन प्राप्त करने और/या बांड के बेचनेया अंतरणका स्पष्ट प्रावधान शामिलहोना चाहिए। मुख्तारनामा शर्तरहित भी होना चाहिए। यदि मुख्तारनामा विदेश में निष्पादित किया गया हो तो वह उस स्थान के नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए जहां इसे निष्पादित किया गया है और भारतमें नए सिरे से नोटरीकृत (विधिवत मुहर लगाते हुए) होना चाहिए।
7. इन कर योग्य बांडोंके लिए आवेदन करने वाले हिंदू अविभक्त परिवार के कर्ता को उससे संलग्न फार्म में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।
8. बांड बही खाते के रूप में बांड बांडोंके मामले में एकल धारक (नाबालिग से भिन्न) द्वारा फार्म"ख"या उससे मिलते-जुलते फार्म में नामांकन किया जा सकता है। कियागया नामांकन यथास्थिति,फार्म "ख" या "ग" में जैसाभी मामला हो, प्राधिकृत प्राप्ति कार्यालय की शाखा को सूचित करके परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है। किया गया प्रत्येक नामांकनया उसमेंकिया गया परिवर्तन प्राधिकृत प्राप्ति कार्यालयकी शाखा में पंजीकृत किया जाएगा औरपंजीकरण कीतारीख से लागू होगा।
9. आवेदनपत्र दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नामों के मामले में किए जाने पर बांड/डों पर ब्याज वारंटऔर भुगतानआदेश/शों को प्रथम आवेदक के नाम जारीकिया जाएगा।
10. बांड बही खाते के रूप में बांड के मामले में, इसे नकद अभिदान प्राप्त होने कीतारीख अथवा ड्राफ्ट और चैक की वसूली की तारीख से खोला जाएगा।
11. 7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2017 के अंतर्गत उपलब्ध कर व्यवहार निम्न प्रकार हैं:
    (i) संपत्ति कर -ये बांड संपत्ति कर अधिनियम, 1957के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट प्रापत हैं।
    (ii) आयकर-गैर-संचयी बांडों पर ब्याज का भुगतान करतेसमय कर की स्रोत पर कटौती कीजाएगी तथा इसे सरकारी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। संचयीबांडों परपरिपक्वता प्राप्तियोंके भुगतान के समय परिपक्वता मूल्य पर ब्याज भाग पर कर की स्रोत पर कटौती की जाएगी तथा इसे सरकारी खातेमें क्रेडिट किया जाएगा।
12. बांड जारी होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के बाद वापसी-अदायगी के योग्य है।
13. बांड बही खाते के रूप में बांडों के आवेदन पत्र सरकारी अधिसूचना के अनुबंध-3 में विनिर्दिष्ट भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं, सहयोगी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों, चार निजी क्षेत्र के बैंकों तथा एसएचसीआईएलमें प्राप्त किए जाएंगे।
14. लोक भविष्य निधि तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंटों को तथा पैरा 10(ख) तथा (ग) में सूचीबद्ध दलालों को उनके ग्राहकों द्वारा दिए गए तथा उनकी मुहर लगे आवेदन पत्रों को देने पर भी प्रति 100 रुपए पर 1.00 रुपए (एक रुपया केवल) की दर पर दलाली का भुगतान किया जाएगा।
15. बांडों का द्वितीयकबाजार में व्यापार नहींकिया जाएगा तथा ये बैंकों, वित्तीय संस्थाओं औरगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आदि से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं होंगे।

अनुबंध 3

7.75% बचत (कर योग्य) बांड, 2018 कार्य की हैंडलिंग करने वाले प्राप्तकर्ता कार्यालयों की सूची

प्राप्तकर्ता कार्यालयों के नाम	
क्र.सं.	**बैंक का नाम**
1.	भारतीय स्टेट बैंक
2.	इलाहाबाद बैंक
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा
4.	बैंक ऑफ इंडिया
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6.	केनरा बैंक
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8.	देना बैंक
9.	इंडियन बैंक
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक
11.	पंजाब नेशनल बैंक
12.	सिंडिकेट बैंक
13.	यूको बैंक
14.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
15.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
16.	कारपोरेशन बैंक
17.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
18.	विजया बैंक
19.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
20.	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
21.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
22.	एक्सिसबैंक लिमिटेड
23.	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुबंध - **4**

(फार्म ख)

[पैरा 11 देखे(i)]

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

नामांकन फार्म

मैं,

(नाम और पता)

बांड बही खाता संख्या का धारक: @

निम्नलिखित व्यक्ति/यों को नामांकित करता हूं, जिन्हें मेरी मृत्यु होने पर बांड के अधिकार मिलेंगे/जो नीचे उल्लिखित अनुसार बांड पर फिलहाल देय राशि का भुगतान प्राप्त करेंगे:

			नामिति का ब्यौरा			
निर्गम की तारीख	राशि रुपए	चुकौती की तारीख	नामिती का आद्यक्षरों का विस्तार देकर पूरा नाम और पता	जन्म-तिथि	धारक से संबंध	बैंक खाते का विवरण

$ …………के रूप में उपर्युक्त एक मात्र नामिती आज की तारीख में अवयस्क है, मैं उक्त नामिती $$ ………………………अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु होने पर उपर्युक्त बांड पर फिलहाल देय राशि प्राप्त करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी ....को करता/करती हूं।

\+ यह नामांकन मेरेद्वारा दिनांक ....को किए गए और ....में आपकी बहियों में पंजीकृत किए गए नामांकन के स्थान पर है, जो इस नामांकन का पंजीकरण होने पर रद्द हो जाएगा।

@ खाता खोलने वाले बैंक द्वारा भरा जाए।

____

(धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

स्थान:

तारीख:

गवाह के नाम और पता सहित हस्ताक्षर:

1\.

____

2\.

____

स्थान:

तारीख:

$ यदि नामिती अवयस्क हो, तो भरा जाए

$$ नामिती (अवयस्क) का नाम

\+ यदि नामांकनपहले से किए गए नामांकन के स्थान पर न हो, तो पैरा काट दिए जाएं।

अनुबंध–5

(फार्म ग)

[देखे पैरा 11(vi)]

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018

नामांकन निरस्त करने की सूचना

मैं____ (नाम और पता) निम्नलिखित बांड बही खाते के संबंध में, मेरे द्वारा किए गए दिनांक....................का नामांकन, जो प्राधिकृत बैंक/प्राप्ति कार्यालय की शाखा द्वारा दिनांक ....को पंजीकृत किया गया, निरस्त करता/करतीहूं।

7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018 के विवरण

जारी करने की तारीख	बही खाता संख्या	निम्न के पक्ष में नामांकन के लिए राशि रुपए

स्थान:

तारीख:

धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

गवाओं के हस्ताक्षर और पते:

1) ____

____

2) ____

____